

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1361
09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता

1361. श्री राहुल कस्वां:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों की संख्या के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार निर्धारित मानदंड क्या हैं;
- (ग) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों और नर्सों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं; और
- (घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए प्रयासों का राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): जून, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, राज्य चिकित्सा परिषदों और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के अंतर्गत 13,08,009 एलोपैथिक डॉक्टर पंजीकृत हैं। पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों और 5.65 लाख आयुष डॉक्टरों की उपलब्धता को 80% मानते हुए देश में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:834 है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के 1:1000 के मानक से बेहतर है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में डॉक्टरों और नर्सों सहित स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधनों के प्रावधान सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें राज्यों द्वारा उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) और समग्र संसाधन परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत प्रस्तुत आवश्यकताओं के आधार पर संविदा के तहत स्वास्थ्य मानव संसाधन को बढ़ाना शामिल है।

भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) सहित स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मानव संसाधनों सहित विभिन्न स्वास्थ्य प्रणाली घटकों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इनका उपयोग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मानव संसाधनों सहित जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में किया जाता है। आईपीएचएस के दिशा-निर्देश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की वेबसाइट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर निम्नानुसार उपलब्ध हैं:

<https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=2&sublinkid=971&lid=154>

एनएचएम के तहत, डॉक्टरों की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने के लिए देश के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दिशानिर्देश दिए गए हैं:

- ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में सेवा करने के लिए और उनके आवासीय क्वार्टरों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्र वाले भत्ते दिए जाएं ताकि वे ऐसे क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सेवा करने के लिए आकृष्ट हों।
- ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सिजेरियन सेक्शन के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ/आपातकालीन प्रसूति परिचर्या (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बाल रोग विशेषज्ञ एवं एनेस्थेतिस्ट/लाइफ सेविंग एनेस्थीसिया स्किल्स (एलएसएस) प्रशिक्षित चिकित्सकों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।
- डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर प्रसवपूर्व (एएनसी) जांच और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए एनएचएम के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य गतिविधियों के संचालन के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।
- राज्यों को विशेषज्ञ को आकर्षित करने के लिए नेगोशिएबल वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है, जिसमें "यू कोट बी पे" जैसी रणनीतियों में लचीलापन शामिल है।
- एनएचएम के अंतर्गत गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन जैसे दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिमान्य प्रवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार करना भी शुरू किया गया है।
- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत डॉक्टरों के बहु-कौशल के लिए सहायता प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एक अन्य प्रमुख कार्यनीति है।

ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2021-22 के अनुसार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता का राज्य-वार विवरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर यूआरएल निम्नानुसार उपलब्ध है:

https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/RHS%202021-22_2.pdf .